APP-A
Crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.....मुकाम.....

.....विमलादेवी .....बनाम.....खेताराम वगैराह.....

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन, अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. नं. ..... सन 2019

तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	प्रार्थीनी विमला ओर से वकील श्री मुकेश जैन द्वारा यह आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है :– 1. आवेदन पत्र इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। 2. पक्षकारान पूर्ण है। 3. स्टाम्प पूर्ण है। 4. दर्ज योग्य है। 22.11.4	
22.11.4	वकील प्रार्थीनी के निवेदन पर ईकतरफा बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीनी द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा बाडमेर शहर पटवार हल्का बाडमेर शहर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 2882/1453 रकबा 07.02.05 बीघा प्रार्थीनी की एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खतोदारी की कब्जासुदा भूमि है। प्रार्थीनी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। पक्षकारान का बाहमी रूप से बंटवाड़ा हो चुका है तथा उसी अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीनी की उक्त कब्जासुदा भूमि पर अविधिक रूप से बलपूर्वक हस्तक्षेप कर बेचान करने पर उतारू है। यदि अप्रार्थीगण इसमे कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीनी को अपूर्णीय क्षति होगी। लिहाजा	

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीखदरख्वास्त जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीनी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावे कि वाद के निस्तारण तक उपवर्णित भूमि में प्रार्थीनी किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत तर्को पर चिन्तन–मनन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीनी वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित खातेदार है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की है तथा सभी खातेदारों का प्रत्येक इंच भूमि पर समान कब्जा काश्त रहता है। खातेदार को खातेदारी की भूमि के विक्रय के अधिकार से वंचित रखने की कानून की मंशा भी नही है। प्रार्थीनी का कब्जा राजस्व वाद के माध्यम से तय होगा। अतः प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने का कोई कारण पत्रावली पर उपलब्ध नही है, प्रथम दृष्ट्या प्रकरण तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में नही है। अतः प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर (SDO) चाड़ेर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2019.12.23 17:32:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: